



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003/2021/को.-19/327-09/2022
दिनांक : 01.02.2022

कार्यालयादेश

पश्चिम बंगाल राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश क्रमांक Memo No. 89/1 (15)-Edn(CS)10M-32/2021 दिनांक 31.01.2022 के आलोक में विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता की सभी अकादमिक गतिविधियाँ कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए दिनांक 03.02.2022 से यथावत शुरू रहेगी।

केंद्र की कक्षाएँ ऑनलाइन/ऑफलाइन सम्मिश्र पद्धति (Blended Mode) से संचालित होगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
01/02/22

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

प्रभारी
क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता
म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. वित्त विभाग
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली